न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

बइजलास–सुनील कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. 131/2014

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
धुलाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी चूंटिसरा तह0 व जिला नागौर	1. सुरेश पुत्र स्व. श्री नेनूराम 2. प्यारी धर्मपत्नी स्व. श्री नेनूराम 3. देरामाराम पुत्र स्व. श्री कूनाराम 4. मूलाराम स्व. श्री कूनाराम 5. मोहनी धर्मपत्नी स्व. श्री कूनाराम 6. भूगानराम स्व. श्री नेनूराम 7. रामचन्द स्व. श्री कूनाराम जाति जाट निवासी चूंटिसरा तह0 व जिला नागौर। 8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नागौर। 9. शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, नागौर 10. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नागौर जारिये शाखा प्रबंधक।

उपस्थित :–
श्री जोराराम मेहरा, (वकील प्रार्थी)
श्री ठाकुरप्रसाद राठी, (वकील अप्रार्थीगण)

आवेदन पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

::आदेश::

दिनांक :– .....

प्रार्थी ने आवेदन पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थी ग्राम चूंटिसरा तहसील नागौर के मूल निवासी है प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 88 रकबा 107 बीघा 19 बिस्वा मौजा चूटिसरा रहता चला आया था जिसमें से उतरी तरफ का रकबा 35 बीघा दिनांक 14.7.1976 अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के पिता व पति कुनाराम व नेनाराम को विकय किया जा चुका है जिस विकय किये रकबे के वर्तमान खसरा नम्बर 88/473 रकबा 17.10 बीघा व खसरा नम्बर 88/474 रकबा 17.10 बीघा मौजा चूंटिसरा तहसील नागौर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी में खसरा नम्बर 88 रकबा 72.19 बीघा व खसरा नम्बर 88/292 रकबा 1 बीघा गे.मु ढाणी दर्ज है जिनकी नकल खतौनीयां, नक्शा ट्रेस साथ पेश है।

यह हैं कि अप्रार्थीगण पिछले काफी समय से अपने खेत खसरा नम्बर 88/473 रकबा 17.10 बीघा व खसरा नम्बर 88/474 रकबा 17.10 बीघा मौजा चूंटिसरा तहसील नागौर उतरी माठ को काट कर प्रार्थी के सिरा नम्बर 88 रकबा 72.19 बीघा व खसरा नम्बर 88/292 रकबा 1 बीघा गे.मु. ढाणी की तरफ बढ़ कर दबा (सरका) रहे है। अप्रार्थीगण को ऐसा कृत्य करने से प्रार्थी ने कई बार मना किया मगर माने नहीं और लाठी के बल पर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि सिरा नम्बर 88 रकबा 72.19 बीघा व खसरा नम्बर 88/292 रकबा 1 बीघा गे.मु. ढाणी पर कब्जा कर अपने खेत में मिलाने की धमकीया दे रहे है कुछ रकबा पर अतिक्रमण कर लिया है नाप चोप करवाने हेतु अप्रार्थीगण को कहने पर टंटा फिसाद करते है तथा कहते है कि कोई नाप चोप नहीं करवायेंगे। प्रार्थी द्वारा बार–बार मना करने पर भी नहीं मानते है बरसात का मौसम होते ही अप्रार्थीगण लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते है। मौके पर खून खच्चर करने पर आमादा हो जाते है जिससे फौजदारी मुकदमा भी हुवा लेकिन फिर भी अप्रार्थीगण माने नही व अपना नाजायज अतिक्रमण बनाये रखने हेतु झूठी कार्यवाही कर रहे है इसलिए मजबूर होकर प्रार्थी को उक्त प्रावधान के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अप्रार्थीगण ने टंटा फिसाद कर प्रार्थी के उक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 88 रकबा 72.19 बीघा की कुछ भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया व फसल काश्त कर ली जिस पर टंटा फिसाद हुवा व प्रार्थी की और से फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया, संबंधित दस्तावेज पेश है इसके बावजुद भी अप्रार्थीगण और अतिक्रमण कर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने की खुली धमकीयां दे रहे है इसलिए यह प्रार्थना पत्र वास्ते सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुवा है।

प्रार्थी ने इस संबंध में तहसीलदारजी को नाप चोप करने व सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवाने हेतु कई बार निवेदन किया मगर कोई नाप चोप नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण के हौसले बुलन्द है और अप्रार्थीगण को कि धनाढ्य व राजनेतिक प्रभाव वाले है जो कानून को हाथ में लेकर धनबल व बाहूबल के आधार पर हम प्रार्थी को नाजायज क्षति कारित करने पर आमादा है इसलिए भी प्रार्थी को तुरन्त यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुवा है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 तथा इनके सहयोगी नाजायज तौर पर बार–बार विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त के खेतों पर अतिक्रमण कर अपने खेत में मिलाने व प्रार्थीगण की उक्त भूमि लाठी के बल पर हड़पने पर आमादा होने से प्रार्थी को मजबूर होकर यह आवेदन वास्ते सीमाज्ञान करवाने व राजस्व अधिकारियों के समक्ष मुड्डाबंदी (पत्थर रोप कर) करवा कर राजस्व रेकर्ड के अनुसार नाप चोप कर मुड्डाबंदी करवाने का आवेदन पेश किया जा रहा है।

अन्त में इस्तदुआ चाही कि प्रार्थी के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 72.19 बीघा व खसरा नम्बर 88/292 रकबा 1 बीघा गे.मु. ढाणी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 88/473 रकबा 17.10 बीघा व खसरा नम्बर 88/474 रकबा 17.10 बीघा मौजा चूंटिसरा का सीमाज्ञान करवा कर मुड्डाबंदी (पत्थर रोप कर) करवाई जावे तथा प्रार्थी की खातेदारी की जमीन पडौस में अप्रार्थीगण के खेतों में दबी हुई को प्रार्थी को दिलाई जाने का आदेश प्रदान करावे तथा सही सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थर गड्डी करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 की ओर से वकील श्री ठाकुरप्रसाद राठी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

उभयपक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह अंकित किया हैं कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि की सीमा को लेकर बार–बार विवाद उत्पन्न हो रहे है। इसलिए प्रार्थी मौजा चूंटीसरा तह0 व जिला नागौर के खेत खसरा नम्बर 88 रकबा 72.19 बीघा व खसरा नम्बर 88/292 रकबा 1 बीघा गे.मु. ढाणी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 88/473 रकबा 17.10 बीघा व खसरा नम्बर 88/474 रकबा 17.10 बीघा का रेकर्ड अनुसार निर्धारित फिक्सड पॉइन्ट से मौक पर सही नाप चौप करवाया जाकर मुटाम रोपकर पत्थरगढी करवाना चाहते है।

उभय पक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ अनुसार उपर्युक्त खसरान की मध्यवर्ती सीमाओं को मुताबिक रेकर्ड व नक्शा असल ट्रेस के निर्धारित फिक्सड पॉइन्ट से मौक पर सही नाप चौप करवाया जाकर मुटाम रोपकर पत्थरगढी करवाने में सहमति जाहिर की हैं।

उभय पक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उलब्ध समस्त दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार नागौर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा चूंटीसरा तह0 व जिला नागौर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 88 रकबा 72.19 बीघा व खसरा नम्बर 88/292 रकबा 1 बीघा गे.मु. ढाणी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 88/473 रकबा 17.10 बीघा व खसरा नम्बर 88/474 रकबा 17.10 बीघा भूमि की मध्यवर्ती सीमाओं को मुताबिक रेकर्ड व नक्शा असल ट्रेस के निर्धारित फिक्सड पॉइन्ट से मौक पर सही नाप चौप करवाया जाकर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायी जावे। इस हेतु तहसीलदार नागौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर फीस 1000/– रूपये निर्धारित की जाती है जो प्रार्थी द्वारा मौके पर ही देय होगे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

आदेश आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर